

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली-110002
(नीति शाखा)

सं.फा.3(4)/2002/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/भाग-1/46-66

दिनांक : 13 फ़रवरी 2015

आदेश

सं.फा.3(4)/2002/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/भाग-1/: जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 09 मार्च, 1998 के आदेश सं0 9(1)/97/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/ii/252 के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या फा. 3(17)/2003/एफ0एण्डएस0/नीति/206 के अनुसार दिल्ली दाल (व्यापारियों के लिए लाइसेंस) आदेश, 1974 रद्द करते हैं।

जबकि उपभोक्ता कार्य विभाग, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2559(ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने, (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाने संबंधी विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (संशोधन) आदेश, 2014 जारी किया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खण्ड 1(1), 1(2) और (2) में व्यवस्था है :-

46-66/P&C/L
16/2/2015

1.(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2014 है।

(2) यह 1 अक्टूबर 2014 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के खण्ड 7 में उपखण्ड (1), की मद संख्या (i) "30 सितम्बर, 2014" पद के स्थान पर "30 सितम्बर, 2015" पद रखा जाएगा।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 जून, 1978 की अधिसूचना सं0जी.एस.आर.800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश करते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाईसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा दिल्ली दाल (व्यापारियों के लिए लाईसेंस) आदेश, 1974 संबंधी क्रमशः दिनांक 09 मार्च, 1998 के आदेश सं.9(1)/97/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/(ii)/252 तथा दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003/एफ0एण्डएस0/नीति/206 को खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन एवं दालों संबंधी दिनांक 30.09.2014 के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (संशोधन) संबंधी (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाने संबंधी आदेश, 2014 के उपबंध 30 सितम्बर, 2015 तक की आगामी अवधि के लिए स्थगित रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(पी.सी.जैन)

विशेष सचिव (पी.एण्ड सी.)

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक : 13 फरवरी 2015

सं.फा.3(4)/2002/एफ0एण्डएस0/पी0एण्डसी0/भाग-1/46-66

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारत सरकार, गह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. उपराज्यपाल के सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली के सचिव।
5. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली के निजी सचिव।
6. विशेष आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. समस्त खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली।
8. अधीक्षक, समन्वय (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को हिन्दी अनुवाद सहित इस अनुरोध के साथ कि इसे दिल्ली राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित करें तथा राजपत्र की 10 प्रतियां कार्यालय प्रयोग हेतु इस विभाग को भिजवा दें।
9. सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
10. सचिव, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
11. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
12. डिवीजनल कमिश्नर, दिल्ली।
13. निजी सचिव, वित्त आयुक्त, दिल्ली।
14. निदेशक अभियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
15. पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय।
16. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, पटियाला हाउस, कडकडडूमा कोर्ट।
17. महासचिव, फूड ग्रेन एवं आयल सीड डीलर्स एसोसिएशन, 3979, नया बाजार, दिल्ली।
18. दिल्ली ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन (रजि.), 156/41 नया बाजार, दिल्ली 110 006।

19. सचिव, व्यापार मण्डल, नजफगढ, दिल्ली।
20. आल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन, फ्लैट न. 12, भूमि तल, 32 अलीपुर रोड, दिल्ली 54।
21. सिस्टम विश्लेषक (कम्प्यूटर), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(पी.सी.जैन)

विशेष सचिव (पी.एण्ड सी.)

खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग